कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
नवम् मण्डल सिंचाई कार्य बहराइच
अति–अल्पकालीन निविदा सूचना सं0–04/एसई/नवम्/2016–17

महामहिम श्री राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु मुहरबन्द निविदायें वर्गीकृत श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांकः ***27.03.2017*** को अपरान्ह ***03:00*** बजे आमंत्रित की जाती है जो दिनांकः ***28.03.2017*** को अपरान्ह ***04:00*** बजे अधीक्षण अभियन्ता नवम् मण्डल सिंचाई कार्य बहराइच के कार्यालय कक्ष में गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः ***24.03.2017 से 25.03.2017*** तक अपरान्ह 04:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अधीक्षण अभियन्ता नवम् मण्डल सिंचाई कार्य बहराइच, अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड–6, बहराइच, अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड–द्वितीय बलरामपुर एवं अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड–प्रथम, गोण्डा तथा पंजाब नेशनल बैंक बहराइच के कार्यालय में (1) पंजीकरण (2) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT–I) (3) हैसियत प्रमाण पत्र (IDT–II) की मूलप्रतियां प्रस्तुत की जायेगी तथा उनकी सत्यापित छायाप्रतियां भी ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायगी। अधिकृत प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र जिसमें प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्रमाणित किया हुआ हो भी जमा करने के पश्चात् ही निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

धरोहर धनराशि एनएससी/एफडीआर अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड–6 बहराइच के पक्ष में बंधक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा। प्रत्येक निविदादाता को :–

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0)	धरोहर राशि (लाख रू0)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य+ VAT (रू0 में)	पंजीकृत श्रेणी
1-	राप्ती बैराज के बांये किनारे पर बैराज के अपस्ट्रीम में किमी0 1.620 पर कैट प्लान के अन्तर्गत बैंको के प्रोटेक्शन का कार्य।	97.60	9.76	3 माह	300+VAT	''बी'' या उच्च
2-	राप्ती बैराज के बांये किनारे पर बैराज के अपस्ट्रीम में किमी0 1.120 पर कैट प्लान के अन्तर्गत बैंको के प्रोटेक्शन का कार्य।	67.20	6.72	3 माह	300+VAT	''बी'' या उच्च
3-	राप्ती बैराज के बांये किनारे पर बैराज के अपस्ट्रीम में किमी0 1.320 पर कैट प्लान के अन्तर्गत बैंको के प्रोटेक्शन का कार्य।	98.00	9.80	3 माह	300+VAT	''बी'' या उच्च

1— रू0 100.00 के नान ज्यूडीशिएल स्टैम्प पेपर पर एक रूपया का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी तथा इससे पूर्व निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार देय बिक्री कर, आयकर, स्टैम्प डयूटी, रायल्टी देनी होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प डयूटी तथा परफारमेन्स सिक्योरिटी को जमा करना होगा। कार्य अतिआवश्यक श्रेणी के है व गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूरे किये जाने है तथा विधि मान्य पाये जाने पर तत्काल अनुबन्ध गठित किये जा सकते हैं। अतः निविदा देने से पूर्व ठेकेदार कार्यस्थल व कार्य से सम्बन्धित परिस्थितियों का भलि–भांति निरीक्षण कर लें ताकि बाद में कठिनाई न हो।

2— उक्त निविदा सूचना वेब साइट (htt:/upgov.nic.in/infotech) तथा सिंचाई विभाग की वेब साइट (www.idup.gov.in) पर भी उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग के वेब साईट www.idup.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है किन्तु इसकी लागत सम्बन्धित अधिशासी

अभियन्ता के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ IDT-I, IDT-II, IDT-III व अन्य प्रपत्र/अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट से ड्राइंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेगें। वेबसाइट से डाउन लोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में बिक्री के लिए उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो तो इन कार्यालयों में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा।

3— कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा

4— राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेगे। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

5— एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा।

6— यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध गठित करने हेतु सक्षम अधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता की न्यूनतम् बोली की स्थिति में भी निविदा निरस्त की जा सकती है।

7— यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो, तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जाता सकता है।

8— निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर के माध्यम से क्रय/जमा करने के इच्छुक पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य भेजकर प्राप्त कर सकेगें तथा प्रकार से पूर्ण व सील निविदा को किसी प्रकार रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा खण्डीय लेखाकार/कैशियर को उनके हस्ताक्षर प्राप्त कराके (निविदा प्राप्त होने के प्रमाण में) प्राप्त करायी जायेगी। जो प्राप्त निविदाओं को तत्काल एक रजिस्टर में पंजीकृत करेगें, जिसमें निविदा प्राप्ति का समय व दिनांक आदि अंकित करके सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता समय से सूचित करेंगें ताकि अन्य निविदाओं के साथ इस प्रकार प्राप्त निविदाओं को भी निविदा खुलने के पूर्व निविदा बाक्स में डाला जा सकेगा। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा कार्यालय को प्रेषित निविदाऐं निविदा प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि से एक कार्यदिवस पूर्व तक प्राप्त की जायेगी। रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा के विलम्ब के कारण यदि कोई निविदा विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका उत्तरदायित्व का नही होगा। डाक से निविदा प्राप्त करने हेतु रू0 200.00 अतिरिक्त मूल्य भेजना आवश्यक होगा।

9— विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा डालने/खोलने की तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना निविदा डालने के तीन दिवस के पूर्व इस कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।

10– चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, स्वघोषण प्रमाण पत्र व निविदा के साथ दी जा ने वाली धरोहर धनराशि के फर्जी पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा/दर्ज करने हेतु प्रकरण अग्रसारित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा समस्त धरोहर धनराशि की जांच जारी करने वाले बैंक/ प्रतिष्ठान से कराना आवश्यक होगा।

11– शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0/दिनांकः 08.06.2012 के अनुसार कार्यो की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 1% से 10% तक दर कम देने पर 0.5% प्रति 1% कमी पर तथा 10% से अधिक दरों में कमी पर प्रति 1% कमी पर 1% अतिरिक्त परफारमेन्स धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।

12– निविदादाता को विगत पांच वर्षो में (2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16) किसी एक वित्तीय वर्ष में समान कार्य की लागत का एकल अनुबन्ध अथवा कार्य की लागत का 50% के दो अनुबन्ध के सिविल कार्य तथा उसको सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निविदा के साथ सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा जारी उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

13– सशर्त एवं अपूर्ण निविदाऐं मान्य नहीं होगी।

14– कार्य से सम्बन्धित लागत व मात्राऐं कम या अधिक हो सकती है।

15– निविदा प्रपत्रों के साथ अलग से सीलबन्द लिफाफे में मूलरूप में IDT-I, IDT-II, IDT-III धरोहर धनराशि तथा वांछित अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निविदादाता निविदा डालने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त समस्त अभिलेख निविदा के साथ संलग्न है तथा उक्त प्रपत्रों में वांछनीय समस्त सूचनाऐं भरी है। निविदा खोलने के पश्चात् कोई प्रपत्र अलग से स्वीकार नहीं किये जायेगें तथा प्रपत्र अधूरा या संलग्नकों की कमी रहने पर निविदा की दरें नही बोली जायेगी तथा निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

अधीक्षण अभियन्ता
नवम् मण्डल सिंचाई कार्य
बहराइच